ग्राम पंचायत भांटावाली, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024

भाग-1

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भांटावाली, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	23.01.2021 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री सुनील कुमार	25.03.2023 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत भांटावाली, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैं :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	3.3	रोकड़बही व बैंक अंतशेष में भारी अंतर	8.82
2)	5.3	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	21.63
3)	6.1	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	2.19
4)	3.4 व 5.1, 5.2, 8.1	विभिन्न अभिलेख प्रस्तुत न करना	34.74

भाग-2

2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

ग्राम पंचायत भांटावाली, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री कविन्द्र कंवर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 22/01/2025 से 29/01/2025 तक ग्राम पंचायत भांटावाली, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर में किया गया। ग्राम पंचायत भांटावाली , विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान दस रोकड़ बहियों अर्थात स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित), 14वां वित्तायोग, 15वां वित्तायोग, आर0ए0वाई0/ए0ए0वाई0, एस0बी0एम0, आई0 डब्लू0डी0पी0, आई0ए0वाई0, एस0डी0पी0, वी0के0वी0एन0वाई0, डी0पी0ए0पी0 व मनरेगा का रख-रखाव किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2023-24	01/2024	06/2023

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत भांटावाली, विकास खण्ड पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 5 दिनांक 29/01/2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त राशि निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को अंकेक्षण शुल्क जमा करने का आश्वासन दिया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या KK/SO/2024-Vol.I-75 दिनांक 05.12.24 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट-1** पर दिया गया है।

वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5 (3+4)**	**6**	**7 (5-6)**
योजना	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**प्राप्तियां (₹)**	**कुल योग (₹)**	**भुगतान (₹)**	**अंतिम शेष (₹)**
स्व: स्त्रोत/ निधि	2023-24	690833.05	1703002	2393835.05	1451679.35	942155.7
अन्य अनुदान/मनरेगा	2023-24	1220915	526000	1746915.00	526000	1220915
कुल (स्व: स्त्रोत/ निधि व अन्य अनुदान)	**2023-24**	**1911748.05**	**2229002**	**4140750.05**	**1977679.35**	**2163070.70**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (3+4)**	**6**	**7 (5-6)**
योजना	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**प्राप्तियां (₹)**	**कुल योग (₹)**	**भुगतान (₹)**	**अंतिम शेष (₹)**
14वां वित्तायोग	2023-24	0	1126739	1126739	560224	566515
15वां वित्तायोग	2023-24	3615534	1308772	4924306	1529720	3394586
कुल (14वां व 15वां वित्तायोग)	**2023-24**	**3615534.00**	**2435511.00**	**6051045.00**	**2089944.00**	**3961101.00**
नोट:- 14वां व 15वां वित्तायोग के अवधि 04/2023 से 03/2024 का अंकेक्षण ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया जा चुका है एवं इस से संबंधित अंकेक्षण आपतियाँ भी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है।						

4.2 बैंक समाधान विवरणी: -

दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोतों एवं अन्य अनुदानों की वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही अनुसार अन्त शेष	₹ 2163070.70
दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोतों एवं अन्य अनुदानों का बैंक अनुसार अन्त शेष	₹ 1280457.70
दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोतों एवं अन्य अनुदानों वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अंतर (₹2163070.70 - ₹1280457.70) **परिशिष्ट – 2**	₹ 882613.00

1. दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोतों एवं अन्य अनुदानों की रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹882613 का अन्तर था जिसकी बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है:-

	विवरण	राशि (₹)
	दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति /स्व: स्त्रोतों एवं अन्य अनुदानों की रोकड़ बहियों अनुसार अंतशेष	2163070.70
घटाव:	स्व:स्त्रोत की रोकड़ बही में दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	533.00
जमा:	दिनांक 31/03/2024 को स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित), आर0ए0वाई0/ए0ए0वाई0, एस0बी0एम0, आई0 डब्लू0डी0पी0, आई0ए0वाई0, एस0डी0पी0, वी0के0वी0एन0वाई0, डी0पी0ए0पी0 का असमायोजित राशि (Unreconciled amount).	(+)882080.00
	दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोतों एवं अन्य अनुदानों के बैंक का अन्तशेष	1280457.70

4.3 ₹8.82 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करना: -

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत द्वारा पैरा 3.2 में वर्णित रोकड़ बही व बैंक शेषों में कुल अंतर ₹882080 (बैंक में कम जमा) की निम्न विवरणानुसार बैंक समाधान विवरणीयां प्रस्तुत नहीं की गई जो कि अनियमित व आपतिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता :-

क्र. स.	निधि/योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
1	**2**	
1	स्वयं स्त्रोत/सामान्य निधि, एस0बी0एम0, एस0डी0पी0, वी0के0वी0एन0वाई0 व डी0पी0ए0पी0 (अन्तर ₹1097915.00- हस्तगत राशि ₹533.00)	1097382.00
2	आर0ए0वाई0/ए0ए0वाई0	36533.00
3	आई0 डब्लू0डी0पी0	(-)251773.00
4	आई0ए0वाई0	(-)62.00
	योग	**882080.00**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 24/01/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव, ने पत्र संख्या: 10 दिनांक 29/01/2025 द्वारा अंकेक्षण को तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वाशन दिया। अत: उक्त भारी अंतर की राशि की बैंक समाधान विवरणीयां शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त यह गंभीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.4 ₹3.48 लाख के अभिलेख प्रस्तुत करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा तथा नियम 5 के अनुसार पंचायत को किसी भी प्रकार की प्राप्ति हेतु फॉर्म-3 पर रसीद जारी करनी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान स्व: स्त्रोतों की रोकड़ बही की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के शेष का मिलान करने के लिए रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में ₹348280.30 पृविष्टि की गई थी परन्तु इस संबंध में कोई अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि उक्त नियमानुसार अनियमित है।

वर्ष	योजना	वाउचर स0 / दिनांक	राशि (₹)
2023-24	Own Sources	OWN/202324/R/59 Dt. 01/12/2023	348280.30

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 24/01/2025 जारी करके उक्त पृविष्टि बारे में पूर्ण अभिलेख सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत के द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: उक्त अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 24/01/2025 के क्रम संख्या 5 के सन्दर्भ में अंकेक्षण को सचिव, द्वारा पत्र संख्या: 10 दिनांक 29/01/2025 के क्रम स. 5 पर प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/2023 से 03/2024 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अत: सचिव, ग्राम पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से

अधिक पड़ी राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 प्राप्त सहायता अनुदान ₹16.67 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार, पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार **(परिशिष्ट-1)** अवधि 4/2023 से 3/2024 तक ₹1666819.00 की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी :-

योजना	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)
सामान्य निधि/ स्वःस्त्रोत	1666819.00

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त सहायतानुदानों के स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु अनुदानों के उपयोग की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1 दिनांक 24/01/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण को प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 10 दिनांक 29/01/2025 द्वारा इसे भविष्य में प्रस्तुत करने का आश्वाशन दिया गया। अतः शीघ्र कृत कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदान से ₹14.52 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी **(परिशिष्ट-1)** के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 4/2023 से 3/2024 तक निम्न विवरण अनुसार ₹1451679.35 की अनुदान राशि (स्वः स्रोत सहित) का व्यय किया गया था। परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके

अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

योजना	**वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदानों से किया गया व्यय (₹)**
सामान्य निधि/ स्वःस्रोत	1451679.35

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 24/01/2025 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत के द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: व्यय की गई उक्त खर्च की राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर सत्यापन हेतु शीघ्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाये ताकि किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए।

6.3 अनुदान खाते में ₹21.63 लाख राशि शेष:-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **(परिशिष्ट-1)** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों (स्वः स्रोत सहित) में से दिनांक 31.03.2024 को ₹2163070.70 (₹6124171.70 -14वां वित्तायोग ₹566515-14वां वित्तायोग ₹3394586) की राशि उपयोग हेतु शेष थी। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग ऐजेन्सी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 24/01/2025 जारी करके उक्त राशि को खर्च न करने बारे अंकेक्षण को अवगत करने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 10 दिनांक 29/01/2025 द्वारा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: सुझाव दिया जाता है कि प्राप्त शेष अनुदानों की राशि को भविष्य में नियमानुसार खर्च किया जाये।

7. पंचायत राजस्व/स्वः स्रोत-

7.1 ₹2.19 लाख का गृह कर वसूली हेतु शेष: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** के अवलोकन करने पर पाया

गया कि अंकेक्षण अवधि 4/2023 से 3/2024 तक गृहकर राजस्व राशि ₹**218730** वसूली हेतु शेष थी, जिसकी शीघ्र अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना सं0 2 दिनांक 24/01/2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र सं0 10 दिनांक 29/01/2025 द्वारा सूचित किया गया कि गृहकर की राशि को भविष्य में वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

वर्ष	**आरम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**कुल (₹)**	**व्यय (₹)**	**अंत शेष (₹)**
2023-24	169980	68350	238330	19600	218730

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क को राजकीय कोष में जमा न करवाना: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या –WLF-A(3)1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा अधिसूचित विवाह पंजीकरण नियम-2004 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय को राजकीय कोष में वर्तमान में नवीनतम शीर्षक 0070-060-108-01 के अन्तर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु अवधि 4/2023 से 03/2024 तक के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹200 का विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया गया परन्तु उसे राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था जोकि अनियमित है।

क्र. स.	**वर्ष**	**योजना**	**वाउचर स0 / दिनांक**	**राशि (₹)**
1	2023-24	Own Sources	OWN/202324/R/57 Dt. 09/01/2024	200

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 2 दिनांक 24/01/2025 जारी करके अनियमितता बारे पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र सं0 10 दिनांक 29/01/2025 द्वारा भविष्य में राशि जो जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे को आश्वस्त किया गया। अतःउक्त राशि को शीघ्र राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

8. श्री अशोक कुमार चोकीदार को ₹0.01 लाख के अधिक भुगतान बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि श्री अशोक कुमार चोकीदार को दिनांक 8.10.2022 (अपराह्न) को दिहाड़ी (Daily wage) पर कार्यग्रहण किया गया था। अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 8.10.2022 से 31.05.2023 उनको वाउचर स.OWN/2023-24/P/18 दिनांक 20/06/2023 के द्वारा बकाया राशि के रूप ₹26500 का भुगतान किया गया था जबकि **परिशिष्ट-4** के अनुसार उनका बकाया ₹25382 देय बनता था इस प्रकार उन्हें ₹1118 का अधिक भुगतान किया गया था जो कि अनियमित है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 3 दिनांक 24/01/2025 जारी करके अनियमितता बारे पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र सं0 10 दिनांक 29/01/2025 द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई अम्ल में लाने का आश्वासन दिया।

अतःउक्त किये गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की राशि उचित स्त्रोत से वसूल कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. निर्माण कार्य: -

9.1 ₹0.07 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा। परन्तु व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा नियम 94, 95 व 101 के अन्तर्गत अपेक्षित अभिलेख जैसे निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण निम्न तालिका में वर्णित निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु किये गये ₹6942 के भुगतान को अंकेक्षण में सत्यापित नहीं किया जा सका जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	वित्त वर्ष	योजना	कार्य का नाम	भुगतान की तिथि	मस्ट्रोल स.	भुगतान राशि (₹)
1	2023-24	MNREGA	C/o cattle shed in the land of Meera Devi w/o Kinnor Singh	06/2023	5013	3471
2	2023-24	MNREGA	C/o Cattle shed in L/o Lakhan singh S/o Kumkum singh	06/2023	5023	3471
			कुल			**6942**

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 3, दिनांक 24/01/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को निर्माण कार्यों के निष्पादन के भुगतान से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अविलम्ब अंकेक्षण को प्रस्तुत आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत के द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकार उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा पूर्ण अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 मनरेगा के अन्तर्गत 60:40 के अनुपात में व्यय न करके ₹0.04 लाख का मजदूरी पर अधिक व सामग्री पर कम व्यय बारे: -

मनरेगा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जारी परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के पैरा 7.4.1 के अनुसार ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय का 60 प्रतिशत मजदूरी पर तथा 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना वांछित है। परन्तु ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 में मनरेगा से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख **(परिशिष्ट-5)** का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन न करके ₹0.04 लाख मजदूरी कम तथा सामग्री पर अधिक व्यय किया गया जोकि अनियमित है:-

क्रम स.	वित्तीय वर्ष	मनरेगा पर कुल व्यय (₹ लाखो में)	मजदूरी पर वास्तविक व्यय (₹ लाखो में)	मजदूरी पर अपेक्षित व्यय *60%* (₹ लाखो में)	मजदूरी पर कम/ ज्यादा व्यय (₹ लाखो में)	सामाग्री पर वास्तविक व्यय (₹ लाखो में)	सामाग्री पर अपेक्षित व्यय 40% (₹ लाखो में)	सामाग्री पर कम/ ज्यादा व्यय (₹ लाखो में)
1	2	3	4	5 (3 x 60%)	6 (4-5)	7	8 (3 x 40%)	9 (7-8)
1	2023-24	5.26	3.12	3.16	(-)0.04	2.14	2.10	(+)0.04

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 3, दिनांक 24/01/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमतता बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाने का आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 10 दिनांक 29/01/2025 द्वारा भविष्य में इस अनियमितता को नहीं दोहराने का आश्वासन दिया गया। अत: इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में उक्त जारी परिचालन दिशा-निर्देश का गंभीरता से पालन किया जाये।

10. विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत करने बारे :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:-

क्र0सं0	रजिस्टर / अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
	खाता बहियां	7	29 (1 से 3)
2	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5	बिल रजिस्टर	13	48
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) (ए व बी)
8	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति एस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	स्टॉक सामग्री रजिस्टर	6	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34
5	कर रजिस्टर	16	34

सचिव, ग्राम पंचायत से अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 4, दिनांक 27/01/2025 जारी करके उपरोक्त आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 10 दिनांक 29/01/2025 द्वारा भविष्य में अभिलेख प्रस्तुत करने बारे आश्वाशन दिया जो कि संतोषजनक उत्तर नहीं है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव करके अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

11. **लघु आपत्ति विवरणिका:** - इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

12. **निष्कर्ष:** - लेखों में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

2527-2531 का0/प्रति
01 MAY 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 103/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भांटावाली, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

परिशिष्ट-1

FINANCIAL POSITION OF GP BHATANWALI ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.) FOR 2023-24					
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
2023-24	5527282.05	4138513.00	9665795.05	3541623.35	6124171.70

GRAM PANCHAYAT BHATANWALI ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

OWN SOURCES

Year	Opening (₹)	Own Sources Income (₹)	Receipts- Own Sources	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2+6)	8	9 (7-8)
2023-24	690833.05	15654.00	1666819.00	20529.00	1703002.00	2393835.05	1451679.35	942155.70

GRAM PANCHAYAT BHATANWALI ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

FFC

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	0.00	1120448.00	6291.00	1126739.00	1126739.00	560224.00	566515.00

GRAM PANCHAYAT BHATANWALI ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

XVFC

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	3615534.00	1200155.00	108617.00	1308772.00	4924306.00	1529720.00	3394586.00

GRAM PANCHAYAT BHATANWALI ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

RAY/AAY

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	41492.00	0.00	0.00	0.00	41492.00	0.00	41492.00

GRAM PANCHAYAT BHATANWALI ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

SBM

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	248595.00	0.00	0.00	0.00	248595.00	0.00	248595.00

GRAM PANCHAYAT BHATANWALI ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

IWDP

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	75260.00	0.00	0.00	0.00	75260.00	0.00	75260.00

GRAM PANCHAYAT BHATANWALI ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

IAY

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	231.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	231.00

GRAM PANCHAYAT BHATANWALI ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)

SDP

Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	602192.00	0.00	0.00	0.00	602192.00	0.00	602192.00

13

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, भाटावाली
तह0 पाँवटा साहिब (सि0म0)

GRAM PANCHAYAT BHATANWALI ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)							
VKVNY							
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	203145.00	0.00	0.00	0.00	203145.00	0.00	203145.00

GRAM PANCHAYAT BHATANWALI ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)							
DPAP							
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2023-24	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00

परिशिष्ट -1

MONTHWISE STATEMENT OF RECEIPTS & PAYMENTS OF GP BHATANWALI ,DEV. BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.) FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24

Month	Opening (₹)	RECEIPTS: Own Sources (₹)	RECEIPTS: 14th FC (₹)	RECEIPTS: XVFC (₹)	RECEIPTS: MNERGA (₹)	RECEIPTS: Total Receipts (₹)	Total (₹)	PAYEMNTS: Own Sources (₹)	PAYEMNTS: 14th FC (₹)	PAYEMNTS: XVFC (₹)	PAYEMNTS: MNERGA (₹)	PAYEMNTS: Total Payments (₹)	Closing (₹)
April	55,27,282	-	-	-	-	-	55,27,282	-	-	-	-	-	55,27,282
May	55,27,282	2,714	-	-	78,000	80,714	56,07,996	1,49,054	-	1,35,878	78,000	3,62,932	52,45,064
June	52,45,064	1,63,208	-	-	1,05,000	2,68,208	55,13,272	55,398	-	5,51,925	1,05,000	7,12,323	48,00,949
July	48,00,949	49,140	-	-	-	49,140	48,50,089	23,128	-	1,78,515	-	2,01,643	46,48,446
August	46,48,446	51,109	-	7,36,216	46,000	8,33,325	54,81,771	30,735	-	1,23,976	46,000	2,00,711	52,81,060
September	52,81,060	-	-	51,328	86,000	1,37,328	54,18,388	-	-	2,33,069	86,000	3,19,069	50,99,319
October	50,99,319	-	-	-	-	-	50,99,319	-	-	-	-	-	50,99,319
November	50,99,319	2,910	-	4,12,611	53,000	4,68,521	55,67,840	370	-	1,12,482	53,000	1,65,852	54,01,988
December	54,01,988	13,29,393	11,26,739	-	-	24,56,132	78,58,120	10,12,856	5,60,224	79,848	-	16,52,928	62,05,192
January	62,05,192	51,049	-	-	43,000	94,049	62,99,241	1,32,181	-	-	43,000	1,75,181	61,24,060
February	61,24,060	50,609	-	-	93,000	1,43,609	62,67,669	24,769	-	50,254	93,000	1,68,023	60,99,646
March	60,99,646	2,870	-	1,08,617	22,000	1,33,487	62,33,133	23,189	-	63,773	22,000	1,08,962	61,24,172
Total	55,27,282	17,03,002	11,26,739	13,08,772	5,26,000	46,64,513	1,01,91,795	14,51,679	5,60,224	15,29,720	5,26,000	40,67,623	61,24,172

Note: December 2023 includes trasnfer/contra entries worth ₹560224 & 751989.

ग्राम पंचायत भांटावाली, विकास खण्ड पाऊँटा साहिब, जिला सिरमौर (हि. प्र.)

परिशिष्ट - 2

क्र. स.	योजना	बैंक	खाता स.	दिनांक 31.3.2024 को रोकड़बही अनुसार अंतशेष	दिनांक 31.3.2024 को बैंक अनुसार अंतशेष	दिनांक 31.3.2024 को रोकड़बही व बैंक अंतशेष में अंतर
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
1	सामान्य निधि/ स्वःस्त्रोत (एस0डी0पी0,डी0पी0ए0पी0, वी0के0वी0एन0वाई0, एस0बी0एम0)	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, बद्रीनगर -खाता क	55110108758	स्व: स्त्रोत ₹942155.7+ एस0डी0पी0 ₹602192 +वी0के0वी0एन0वाई0 ₹203145+डी0पी0ए0पी0 ₹50000+ एस0बी0एम0 ₹248595	665135.55	1097915.00
		हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, पाऊँटा साहिब -खाता ख (एस0डी0पी0,डी0पी0ए0पी0, वी0के0वी0एन0वाई0, एस0बी0एम0)	56210100028		283037.15	
	कुल			2046087.70	948172.70	
2	14वा वित्त आयोग	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, बद्रीनगर	55110108761	566515.00	570470.00	-3955.00
3	15वा वित्त आयोग	आई0डी0बी0आई0 पाऊँटा साहिब	1177104000082253	3394586.00	3394586.00	0.00
4	आर0ए0वाई0/ ए0ए0 वाई0	आई0डी0बी0आई0 पाऊँटा साहिब	1177104000035121	41492.00	4959.00	36533.00
5	आई0डब्लू0डी0पी0	आई0डी0बी0आई0 पाऊँटा साहिब-	1177104000018090	75260.00	327033.00	-251773.00
7	आई0ए0वाई0	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, पाऊँटा साहिब	56210100143	231.00	293.00	-62.00
		कुल योग		6124171.70	5245513.70	878658.00

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

ग्राम पंचायत भांटावाली विकास खण्ड पाऊँटा साहिब जिला सिरमौर।

दिनांक 31.3.2024 को गृहकर वसूली संबंधी सूचना-

- वर्ष 2023-24 के दौरान परिवारों की संख्या – 1367
- वर्ष 2023-24 के दौरान गृहकार की दर – ₹ 50/परिवार

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	169980	68350	238330	19600	218730

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, भांटावाली
तह0 पाँवटा साहिब (हि0प्र0)

Calculation sheet of amount of arrear excess paid to Sh. Ashok Kumar Chowkidar (Date of joining on daily wage 08.10.2022 (A/N)

Daily wage rate (₹)	2022-23	350	Fixed emoluments rate/pm (₹)	2022-23	6500
	2023-24	375		2023-24	7000

Period	Months	Days	Due (₹)	Drawn (₹)	Arrear (₹)
1	2	3	4	5	6
1.10.22 to 8.10.22 (F/N)	-	8.5	1782	1782	0
8.10.22(A/N) to 31.10.22	-	22.5	7875	4718	3157
1.11.2022 to 31.03.23	5	151	52850	32500	20350
1.4.23 to 31.5.23	2	61	22875	21000	1875
Total (A)	**7**	**243**	**85382**	**60000**	**25382**
Total Arrear paid vide voucher No.OWN/2023-24/P/18 Dt. 20/06/2023 (B)					**26500**
Excess paid (₹26500 - ₹25382)					**1118**

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

GRAM PANCHAYAT BHATANWALI ,DEVELOPMENT BLOCK PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)			
Scheme: MNREGA			
Fin. Year/	**2023-24**		
Month	**Labour (₹)**	**Material (₹)**	**Total (₹)**
April	0.00	0.00	**0**
May	78000.00	0.00	**78000**
June	0.00	105000.00	**105000**
July	0.00	0.00	**0**
August	26000.00	20000.00	**46000**
September	56000.00	30000.00	**86000**
October	0.00	0.00	**0**
November	53000.00	0.00	**53000**
December	0.00	0.00	**0**
January	43000.00	0.00	**43000**
February	34000.00	59000.00	**93000**
March	22000.00	0.00	**22000**
Total	**312000**	**214000**	**526000**

C/s

Gram Rojgar Sewak